राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 1293/2017/उदयपुर
2. अपील संख्या – 1294/2017/उदयपुर

मैसर्स चौकसी हेरायस प्रा0 लि0,
ए–196, एफ रोड़, एम.आई.ए.,
उदयपुर — अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, वृत्त बांसवाड़ा — प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री के.एल.जैन, सदस्य
श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित : :
श्री वी.सी.सोगानी, अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से
श्री आर.के. अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक — प्रत्यर्थी की ओर से

दिनांक : 17.08.2018

निर्णय

1. ये दोनों अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी (जिसे आगे **"अपीलार्थी"** कहा जायेगा) द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, उदयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 07.06.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, वृत्त बांसवाड़ा (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे **"केन्द्रीय अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 9 सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"वैट अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 25, 55 एवं 61 के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 के लिये पारित आदेशों दिनांक 10.06.2016 के जरिये कायम की गयी मांग राशियों में से अपीलीय अधिकारी द्वारा कर व ब्याज की पुष्टि करते हुए शास्ति राशि को अपास्त किया गया है। अपीलीय अधिकारी द्वारा कर व ब्याज की पुष्टि किये जाने को इन अपीलों में विवादित किया गया है।

क्र. सं.	अपीलीय अधिकारी के आदेश का विवरण			कर निर्धारण आदेश का विवरण		कर बोर्ड के समक्ष विवादित राशि (रूपये)	
	अपील संख्या	अपील संख्या	आदेश दिनांक	वर्ष	आदेश दिनांक	कर	ब्याज
1.	1293/2017	65/सीएसटी	07.06.2017	2011–12	10.06.2016	2,79,985	1,59,592
2.	1294/2017	66/सीएसटी	07.06.2017	2012–13	10.06.2016	2,45,512	1,10,480

निरन्तर.....2

2. दोनों अपीलों में विवादित बिन्दु समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है, जिसके निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर रखी जावे।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जांच अधिकारी द्वारा दिनांक 11.12.2015 को अपीलार्थी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण किया गया। अपीलार्थी द्वारा मुख्यतया प्रिसियस मेटल्स– सोना, चांदी, प्लेटिनियम, पैलेडियम इत्यादि से 'इलेक्ट्रिक कॉन्टेक्ट्स', सिल्वर शॉट्स, कॉपर शॉट्स आदि का विनिर्माण एवं विक्रय किया जाता है, जिनके निर्माण में ग्राहक की आवश्यकता एवं मांग के अनुसार शुद्ध धातु अथवा मिश्र धातु दोनों ही उपयोग में ली जाती हैं। अपीलार्थी द्वारा उक्त 'इलेक्ट्रिक कॉन्टेक्ट्स' की राज्य के भीतर बिक्री पर 14 प्रतिशत से कर वसूल किया जाता है परन्तु इसकी अन्तर्राज्यीय बिक्री पर अधिसूचना क्रमांक 31.12.1975 के अंतर्गत 1 प्रतिशत की दर से ही कर वसूल करके राजकोष में जमा करवाया है। जांच अधिकारी का मानना था कि उक्त उत्पाद संदर्भित अधिसूचना से कवर नहीं होता है। अतः अन्तर्राज्यीय व्यापार क्रम में ''सी'' फॉर्म के समर्थन से विक्रय करने पर इन पर 2 प्रतिशत की दर से करारोपण होना चाहिए। तदनुरूप प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को स्थानान्तरित किये जाने पर उसने प्रश्नगत उत्पाद को संदर्भित अधिसूचना दिनांक 07.03.1994 से आच्छादित नहीं होना पाया क्योंकि उक्त उत्पाद ''नॉन फेरस मेटल'' से निर्मित स्ट्रिप, रॉड, पाइप, सेक्शन एवं सर्कल की श्रेणी का नहीं है। कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी के पक्ष को अस्वीकार करते हुए प्रश्नगत उत्पाद की ''सी'' फॉर्म से समर्थित बिक्री पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त कर आरोपित करते हुए कर अदेय रहने के कारण इस पर ब्याज का आरोपण किया है तथा साथ ही कम दर से कर चुकाने के कृत्य को करवंचना मानते हुए वैट अधिनियम की धारा 61 के अधीन शास्ति का भी आरोपण किया।

4. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपीलें किये जाने पर उन्होंने अपने आदेश दिनांक 07.06.2017 द्वारा कर व ब्याज की पुष्टि करते हुए इस बिन्दु पर अपीलें अस्वीकार की हैं एवं शास्ति के बिन्दु पर अपलार्थी की अपीलें स्वीकार की हैं। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा कर व ब्याज के बिन्दु पर ये दोनों अपीलें कर बोर्ड के समक्ष वैट अधिनियम की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं।

5. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा विक्रीत उत्पाद– Electrical Contacts (fixed and movable both) राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या F.5(25)FDCT/72-29 dated 31.12.1975 (as amended by notification dated 07.03.1994) से आच्छादित हैं जिस पर अन्तर्राज्यीय व्यापार क्रम में कर दर 1 प्रतिशत ही है अतः कर निर्धारण अधिकारी ने 1 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर एवं ब्याज का आरोपण करने में विधिक त्रुटि की है तथा अपीलीय

निरन्तर.....3

अधिकारी ने भी उक्त आदेश की पुष्टि कर त्रुटि की है। इस कारण उन्होंने अवर अधिकारियों के आदेशों को अपास्त करते हुए प्रस्तुत अपीलें स्वीकार करने की प्रार्थना की है।

6. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि प्रश्नगत उत्पाद 'Electrical Contacts' राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 31.12.1975 से कवर नहीं होता है अतः यह सामान्य दर से करयोग्य होने के कारण इसकी ''सी'' फॉर्म से समर्थित अन्तर्राज्यीय बिक्री पर जो 1 प्रतिशत की दर से कर एवं ब्याज का आरोपण किया गया है वह पूर्णतः विधिसम्मत होने के कारण इस संबंध में अपीलीय आदेश पुष्टि किये जाने योग्य है। अतः उन्होंने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

7. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। हमारे समक्ष विवाद का बिन्दु यह है कि अपीलार्थी द्वारा विक्रीत उत्पाद 'Electrical Contacts' (fixed and movable types both) जो कि इलेक्ट्रिकल गुड्स होने के कारण Schedule-V के अंतर्गत आलोच्य अवधि में 14 प्रतिशत की दर से करयोग्य है एवं जिसकी राज्य की बिक्री पर स्वयं अपीलार्थी ने 14 प्रतिशत की दर से ही कर चुकाया है, अधिसूचना दिनांक 31.12.1975 में यथा वर्णित उत्पादों में शामिल है अथवा नहीं ? इस संबंध में सर्वप्रथम प्रश्नगत उत्पाद की आधारभूत जानकारी किया जाना आवश्यक है जिससे यह अभिनिर्धारित किया जा सके कि क्या यह उत्पाद अधिसूचना दिनांक 31.12.1975 (यथा संशोधित) से आच्छादित है अथवा नहीं।

8. प्रश्नगत उत्पाद 'Electrical Contacts' के संबंध में तकनीकी विश्लेषण निम्न प्रकार है :–

> "An **electrical contact** is an electrical circuit component found in electrical switches, relays, connectors and circuit breakers. Each contact is a piece of electrically conductive material, usually metal. When a pair of contacts touch, they can pass an electrical current with a certain contact resistance, dependent on surface structure, surface chemistry and contact time; when the pair is separated by an insulating gap, then the pair does not pass a current. When the contacts touch, the switch is "closed"; when the contacts are separated, the switch is "open". The gap must be an insulating medium such as air, vacuum, oil, SF or other electrically insulating fluid. Contacts may be operated by humans in push-buttons and switches, by mechanical pressure in sensors or machine cams, and electromechanically in relays. The surfaces where contacts touch are usually composed of metals such as silver or gold alloys that have high electrical conductivity, wear resistance, oxidation resistance and other properties."

निरन्तर.....4

"An electrical contact is an electrically controlled switch that completes or interrupts a circuit affecting an electrical current. Unlike relays, electrical contacts carry higher current loads and are designed to be directly connected to high voltage feeds. Contacts come in a variety of sizes, from small to very large, depending on voltage requirements and usage. Contacts are used in all types of control devices. Unlike circuit breakers, electrical contacts are not, by default, meant to interrupt a short circuit. Instead, contacts either complete or interrupt a circuit based on a secondary, low voltage control power source. A contactor has three basic parts: an operating coil and stationary and movable contacts. When power is sent to the control coil (via a shunt) the coil creates an electromagnetic current and either forces the movable contact arm open or closed to complete or interrupt the circuit."

उपरोक्तानुसार 'Electrical Contacts' संबंधी technical literature के अवलोकन एवं विश्लेषण से स्पष्ट है कि उक्त उत्पाद इलेक्ट्रिल सर्किट का एक कम्पोनेन्ट है जो कि इलेक्ट्रिकल स्विचेज, रीलेज, कनेक्टर्स एवं सर्किट ब्रेकर्स आदि में लगाया जाता है एवं जिसका मुख्य कार्य विद्युत के प्रवाह को संयोजित या विच्छेदित (to connect or to dis-connect) करना है, अतः इसकी बनावट व प्रयोग को देखते हुए इन्हें अलौह धातु के रॉड्स, पाइप्स, स्ट्रिप्स, सेक्शन्स, शीट्स, सर्किल्स तथा ट्यूबिंग्स कहा जाना सम्भव नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि स्वयं अपीलार्थी ने अपने बिलों में अपने इस उत्पाद को 'Electrical Contacts' ही लिखा है न कि अधिसूचना में वर्णित 'Non-ferrous rods, pipes, strips, sections, sheets, circles, and tubings' आदि।

9. अब राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 31.12.1975 का अवलोकन एवं अध्ययन करने के पश्चात यह निर्णीत किया जाना है कि क्या उक्त उत्पाद इस अधिसूचना में वर्णित मदों से आच्छादित है अथवा नहीं। सुलभ संदर्भ हेतु उक्त अधिसूचना संख्या F.5 (25) FDCT/72-29 dated 31.12.1975 निम्नानुसार पुनरूल्लिखित की जाती है :–

"In exercise of the powers conferred by S.8(5), CST Act, 1956, the State Govt. hereby directs that with effect on and from 1.1.1976, the tax payable under sub-section (1) of the said section by any dealer having his place of business in the State, in respect of the sale by him from any such place of business in the course of inter-State trade, of the goods specified in column under 2 of the list appended hereto, to which sub-section (1) applies, shall be calculated at the reduced rate shown against it in column number 3 of the said list on furnishing of a declaration in Form "C" or a Certificate in Form "D", as the case may be."

Item No.	Description of goods	Rate of tax
1.	**Non-ferrous rods, pipes, strips, sections, sheets, circles, and tubings**	**1%**

निरन्तर.....5

प्रश्नगत उत्पाद की प्रकृति तथा स्वरूप (form and substance) तथा उक्त अधिसूचना दिनांक 31.12.1975 में जो आइटम्स वर्णित आइटम्स– अलौह धातु के रॉड्स, पाइप्स, स्ट्रिप्स, सेक्शन्स, शीट्स, सर्किल्स तथा ट्यूबिंग्स की प्रकृति तथा स्वरूप (form and substance) के अध्ययन पर सहज ही यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रश्नगत उत्पाद 'Electrical Contacts' किसी भी प्रकार से (whether expressly or impliedly) इन आइटम्स में कवर नहीं होता है।

10. अतः यह निर्णीत किया जाता है कि 'Electrical Contacts' अधिसूचना दिनांक 31.12.1975 के अंतर्गत अधिसूचित उत्पादों में सम्मिलित नहीं है, अतः इसकी अन्तर्राज्यीय बिक्री (''सी'' फॉर्म्स से समर्थित) पर जो केन्द्रीय बिक्री कर 2 प्रतिशत की दर से आरोपित किया गया है, वह पूर्णतः विधिसम्मत है। अतः इस संबंध में अवर अधिकारियों (lower authorities) के आदेश पुष्टि किये जाने योग्य हैं।
11. उपरोक्त विवेचनानुसार इन दोनों अपीलों में अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेशों की पुष्टि की जाती है तथा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।
12. निर्णय सुनाया गया।

17.8.2018

(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य

(के.एल.जैन)
सदस्य